सम्मन तलबी वास्ते जारी होकर पत्रावली
आईंदा दिनांक 10/5/18 को पेश हो।

25/4/18

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वार–2018 अभियान ग्राम पंचायत......GTOB......
में आयोजित होने के कारण पेशी में ली गई। सम्बन्धित पक्षकारान को वास्ते तलबी नोटिस/ सम्मन जारी होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक.......10/5/18.......पेश हो।

10/5/18

पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प GTOB मे पत्रावली प्रस्तुत हुई। वादी/प्रतिवादी उप० प्रतिवादीया ने मजमे आम निवेदन किया कि वाद पत्र में उल्लेखित भूमि का मूर्ख में आपसी सहमति से बंटवारा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में वादी/प्रतिवादीया के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हुआ। वादी/प्रतिवादिया में आपसी सहमति नहीं हो पाने पर वर्तमान राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्व रिकार्ड वादी एवं प्रतिवादीया के आपसी सहमति से तहसीलदार (भू०अ०) अनूपगढ के आदेश दिनांक 2-2.2007 द्वारा वादी एवं प्रतिवादी के मध्य खाता विभाजन के आदेश दिए गए, जिसकी पालना में नामान्तकरण ~~[illegible]~~ दिनांक 2/7/2007 द्वारा वादी एवं प्रतिवादिया के पक्ष में नामान्तकरन स्वीकृत किया।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के अनुसार मूर्ख में सहमति के आधार पर खाता विभाजन होने तथा खाता विभाजन का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद होने के फलस्वरूप पुन:

LTI [illegible]

सुरजीतकौर

उसी राशि के विभाजन का वाद चलने योग्य नहीं है।
अतः गुणावगुण के आधार पर प्रकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पूर्व में आपसी सहमति से खाता विभाजन होने के कारण पुनः खाता विभाजन का दावा स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। वादी पूर्व के खाता विभाजन के निर्णय के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद अपील दायर कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय मजमें आम सुनाया जाकर खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

10/5/18

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़
कैम्प 6 MD